प्रेषक,

शिव गोपाल सिंह,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं,
उ0प्र0, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-4 लखनऊ : दिनांक 07 मार्च, 2025

विषयः- वित्तीय वर्ष 2024-25 में प्रदेश की 70 कारागारों पर स्थापित मिनी वीडियोवॉल एवं 01 कारागार मुख्यालय पर स्थापित सुपर वीडियोवॉल को प्रथम चरण के अन्तर्गत Upgradation of Videowall Project (सर्वर/वीडियो वॉल) के उच्चीकरण हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-35732/आधु-1/वीडियोवॉल/एएमसी/24, दिनांक 26-11-2024 एवं पत्र संख्या-2405/आधु-1/वीडियोवॉल-अपग्रेशन/24-25, दिनांक 21-01-2025 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में प्रदेश की कारागारों पर स्थापित मिनी वीडियोवॉल एवं 01 कारागार मुख्यालय पर स्थापित सुपर वीडियोवॉल को प्रथम चरण के अन्तर्गत Upgradation of Videowall Project (सर्वर/वीडियोवॉल) के उच्चीकरण हेतु धनराशि रू0 339.809 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति सहित उक्त के सापेक्ष अग्रिम के रूप में 40 प्रतिशत की धनराशि **रू0 135.9236 लाख (रूपया एक करोड़ पैंतीस लाख बानवे हजार तीन सौ साठ मात्र)** का भुगतान किये जाने पर श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः-

<u>नियम व शर्ते / प्रतिबन्धों</u>

(1) वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-162 में दी गई व्यवस्था के अनुसार जो सरकारी कर्मचारी/अधिकारी धन को आहरित करेगा, वही उसके समायोजन हेतु भी जिम्मेदार होगा तथा यदि कोई क्षति होती है, तो उसके लिए भी संबंधित सरकारी कर्मचारी/अधिकारी जिम्मेदार होगा।

(2) महानिरीक्षक कारागार द्वारा पिछले स्वीकृत किये गये समस्त अग्रिमों एवं अब स्वीकृत किये जा रहे अग्रिम के समायोजन की स्थिति से वित्त विभाग को प्रत्येक दशा में अवगत कराया जायेगा। समायोजन सुनिश्चित हो जाने के उपरान्त ही अगले अग्रिम आहरण का प्रस्ताव किया जाएगा।

(3) प्रोक्योरमेण्ड मैनुअल के अध्याय-11 के प्रस्तर-11.8 के अनुसार ब्याज की देयता के संबंध में महानिरीक्षक कारागार अपने स्तर से आवश्यक कार्यवाही करेंगे।

(4) महानिरीक्षक कारागार प्रश्नगत धनराशि को स्टेट जेम पूल एकाउन्ट के अन्यत्र किसी अन्य खाते में नहीं रखेंगे।

(5) महानिरीक्षक कारागार द्वारा उपकरणों का क्रय सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग-2 के शासनादेश दिनांक 23.08.2017 में दी गई व्यवस्था के माध्यम से समस्त औपचारिकताओं की पूर्ति सुनिश्चित करके नियमानुसार करते हुये सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा।

(6) धनराशि आहरित करने से पूर्व महानिरीक्षक कारागार द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जाए कि उक्त मिनी वीडियोवॉल एवं 01 कारागार मुख्यालय पर स्थापित सुपर वीडियोवॉल को प्रथम चरण के अन्तर्गत Upgradation of Videowall Project (सर्वर/वीडियोवॉल) के उच्चीकरण हेतु पूर्व में धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है। स्वीकृत धनराशि का आहरण तभी किया जायेगा जब प्रस्तावित उपकरणों के उच्चीकरण हेतु निर्धारित क्रय प्रक्रिया पूर्ण कर ली गयी हो।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(7) महानिरीक्षक कारागार कार्यात्मक आवश्यकता के दृष्टिगत प्रस्तावित उपकरणों के उच्चीकरण हेतु मेक/माडल/स्पेसिफिकेशन एवं संख्या के संबंध में विभागीय व्यवस्थाओं के अन्तर्गत संतुष्ट हो लेंगे।

(8) महानिरीक्षक कारागार क्रय किये जाने वाले प्रस्तावित उपकरणों की गुणवत्ता एवं उपयोगिता के संबंध में पूर्णतः संतुष्ट हो लेंगे।

(9) प्रस्तावित उपकरणों का क्रय स्वीकृत धनराशि की सीमा में किया जायेगा तथा किसी प्रकार का विचलन नहीं किया जायेगा।

(10) महानिरीक्षक कारागार द्वारा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 04.03.2024 एवं तत्संबंधी संशोधित आदेशों में दी गयी व्यवस्था का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(11) स्वीकृत धनराशि का उपयोग दिनांक 31 मार्च, 2025 तक सुनिश्चित कर लिया जाय।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 1,35,92,360 (रुपये एक करोड़ पैंतीस लाख बानबे हजार तीन सौ साठ मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 025 **लेखा शीर्षक** 4070008001400 कारागारों के लिए उपकरणों, संयंत्रों एवं वाहन आदि की व्यवस्था **मानक मद** 26 मशीनें और सज्जा /उपकरण और संयंत्र के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या-E-12-815-X-2024-25, दिनांक: 6.3.2025 मे प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

शिव गोपाल सिंह
संयुक्त सचिव।

संख्या-15/2025-1123-22-4-2024-1877839, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

(1) प्रधान महालेखाकार (सिविल आडिट), उ0प्र0, प्रयागराज।
(2) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उ0प्र0, प्रयागराज।
(3) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
(4) निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
(5) निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0।
(6) वित्त नियंत्रक, कारागार मुख्यालय लखनऊ।
(7) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-12/वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1/2।
(8) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

अभय कुमार त्रिपाठी
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in